154

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक–288–तीन / 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–11–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–417 / निग0 / 1995–96

.....

1– रामलौटन शुक्ला तनय श्री सूधेराम(मृतक) वारिसान–
   1. मुस0 गुलाबवती पत्नी स्व0 रामलौटन शुक्ला
   2. हरिशरण शुक्ला पुत्र स्व0 रामलौटन शुक्ला
   3. शिवशरण शुक्ला पुत्र स्व0 रामलौटन शुक्ला

2– सच्चिदानंद शुक्ला तनय श्री द्वारिका प्रसाद

3– जुगुलकिशोर शुक्ला तनय श्री रामप्रताप(मृतक) वारिसान–
   1. गोविंद प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व0 जुगुलकिशोर शुक्ला
   2. रामरूचि शुक्ला पुत्र स्व0 जुगुलकिशोर शुक्ला
   निवासी–ग्राम जोगिनहाई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा (म0प्र0)

————अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– विश्वनाथ प्रसाद पिता श्री कामता राम

2– इन्द्रजीत प्रसाद पिता श्री कामता राम(मृतक) वारिसान–
   1. मुस0 दशोमति शुक्ला पत्नी स्व0 इन्द्रजीत शुक्ला
   2. कमलेश प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व0 इन्द्रजीत शुक्ला
   3. सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व0 इन्द्रजीत शुक्ला
   4. अरिवन्द्रकुमार शुक्ला पुत्र स्व0 इन्द्रजीत शुक्ला
   निवासीगण–ग्राम जोगिनहाई तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला–रीवा(म0प्र0)

3– अयोध्या प्रसाद तनय श्री रामगरीब

4– राजाराम

5– धर्मराम, पुत्रगण श्री रामविशाला

6– रामराज

7– नंदकिशोर

8– रामनाथ, पुत्रगण श्री रामप्रताप

9– वेवा शोभनाथ

10– रामखेलावन

11– शिवनारायण

12– रामनारायण
13– श्री गणेश
14– उमेश, पुत्रगण श्री रामधनी
15– हीरालाल तनय रामस्वंवर
16– पुनकधारी
17– शोभनाथ
18– रामानुज, पुत्रगण श्री रामप्रताप
19– रामलाल
20– रामसजीवन, पुत्रगण श्री रघुनाथ
21– बैद्यनाथ तनय शोभनाथ
22– शैलेन्द्र
23– शिवेन्द्र
24– जितेन्द्र, पुत्रगण स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद
25– श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व0 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद
26– वृजेन्द्र प्रसाद
27– रामानुज
28– भैयालाल, पुत्रगण स्व0 श्री तीरथ प्रसाद
29– बीरेन्द्र प्रसाद
30– राजेन्द्र प्रसाद, पुत्रगण स्व0 श्री द्वारिका प्रसाद
31– मोतीलाल
32– दिनेश कुमार, पुत्रगण स्व0 श्री रामकिशोर
निवासीगण–ग्राम जोगिनहाई, थाना रायपुर कर्चुलियान
तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा(म0प्र0)

————प्रत्यर्थीगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, प्रत्यर्थीण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24-10-2017 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी क्र0 1 व 2 द्वारा ग्राम जोगिनहाई भूमि खसरा नं0 1065, 833, 834, 835, 836 का बटवारा किये जाने हेतु

आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा विचारोपरांत दिनांक 31.08.1995 को बटवारा का आदेश पारित किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी क्र0 1, 2, व 3 एवं प्रत्यर्थी क्र0 21 ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 09.04.1996 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर प्रत्यर्थी क्र0 1 व 2 ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक– 417/निग0/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 07–11–2006 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत न मानते हुये निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 24.12.94 को पटवारी को फर्द पुल्ली प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया था, जिस पर पटवारी द्वारा दिनांक 06.04.95 को फर्द पुल्ली प्रस्तुत की गई थी। फर्द पुल्ली प्राप्त होने पर तहसीलदार ने फर्द पुल्ली पर आपत्ति मंगाई, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। विवादित भूमि पर कब्जा के संबंध में कोई ठोस आधार अथवा साक्ष्य प्राप्त न होने से तहसीलदार ने दिनांक 12.06.95 को पुनः राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मंगाई। राजस्व निरीक्षक ने स्थल का निरीक्षण कर, दिनांक 10.07.95 को तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उक्त प्रतिवेदन पर पुनः आपत्ति मंगाई गई, परन्तु प्रतिवेदन पर भी अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं किये जाने से बटवारा के आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक

सहखातेदार को अपने हिस्से का बटवारा किये जाने हेतु आवेदन देने का अधिकार है और उक्त प्रावधान के तहत प्रत्यर्थी क्र0 1 व 2 ने अपने अंश का बटवारा किये जाने का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर विचारोपरांत विधिक कार्यवाही करते हुये तहसीलदार ने बटवारा का आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र इस आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है कि तहसीलदार ने स्वत्व का विनिश्चय नहीं है । जबकि राजस्व न्यायालय के स्वत्व के निराकरण का अधिकार नहीं है। तहसीलदार ने विधिसंगत आदेश पारित किया है और इसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना करते हुये की है तथा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा है एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। अतः अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07–11–2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एम0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर